

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम तयाना
 रामखिलाडी वनाय जगन्नाथ प्रसाद चमेराड
 किरम मुकदमा दावा 188 आरटी एक्ट नं रानु 33/25

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल मे जारी हुए
------------	-----------------------------------	---

14.02.2025 दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये समान रजिस्टर्ड/साधारण से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.05.25 को पेश हों।

उप खण्ड अधिकारी
 तयाना (भरतपुर) राज

14/5/25 पत्र-बाडी उपरान्त प्रतिक्रिया आया। मालीक को रकम प्राप्त कराने के लिए अहकाम जारी किया गया। अहकाम दि. 12/5/25 को पेश है।

12/5/25 पत्र-बाडी उपरान्त डे-डे कोषागार की कोषागार से रकम प्राप्त कराने के लिए अहकाम जारी किया गया। अहकाम दि. 10/5/25 को पेश है।

10/5/25 पत्र-बाडी उपरान्त प्रतिक्रिया आया। मालीक को रकम प्राप्त कराने के लिए अहकाम जारी किया गया। अहकाम दि. 12/5/25 को पेश है।

17/5/25 पीठासीन अधिकारी पत्रावली पूर्ववित्तर दिनांक को पेश है।

सिंडर
 ओ/एस.डी.एम.



29/11/25 पीठासीन अधिकारी... है।
 25 पञ्जावली पूर्वानुसार दिनांक 22/11/25 को पेश है।

रीडर
 ओ/एस.सी.एम.

13/11/25 पीठासीन अधिकारी... है।
 पञ्जावली पूर्वानुसार दिनांक 9/11/25 को पेश है।

रीडर
 ओ/एस.सी.एम.

10/11/25 प्रकरण दि. 9/11/25 का अन्तर्गत होने पर आप पेश हुआ। प्रकरण में 07 R.11 पर बहज सुनी गई। प्रकरण पर अन्तर्गत दि. 24/11/25 को पेश किया गया।

24/11/25 प्रकरण आप पेश हुआ। प्रकरण अन्तर्गत धारा 188 R.A. नियम के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिक्री किया जाकर कार्यवाही चाही गई है। प्रकरण में दि. 12/8/25 को प्रति. संख्या 02 के फुज में जायि अधिकारी प्रायना फज 07 R.11 पेश कर निवेदन किया कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा में ल्याई निवेदना हेतु संख्या नम्बर 1068, 472, 473, 812, 836, 837, 838, 1080, 1083, 479, 480, 809/1152, 810 811 ग्राम अशावली तहसील बसाना के अलावा खसरा नम्बर 65 खसरा 028 ग्राम अशावली तहसील बसाना बाबत प्रस्तुत किया गया। उक्त अलाजी



अधिकारी
 अशावली तहसील

तारीख

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नया न तारीख
अनुयाय को इस
हुक्म में शामिल
में जारी हुए

खसरा नम्बर 65 खेवा 0.28 हेक्टर
 अगावली तहसील अमना का
 श्रीनिवाज पुत्र हजारीलाल, जाते वंशय
 अगावली खेवा अगावली सिस्टेड
 स्वतंत्र स्वतंत्र कार्तकार ईप जिज परवट
 अपने जीवनकाल तक सर्वेचित स्वतंत्र
 कार्तकार व कार्तकार अराजी रह्य
 उनके अगावली के बाद उनके वारिस
 सर्वेचित स्वतंत्र कार्तकार कार्तकार
 चले आ रहे हैं। वादी वाद अंत
 अराजी पर मैनेजमेंट नहीं होने के
 कारण चलने योग्य नहीं। वाद
 वादी वारिस योग्य हैं। पार्षी
 के पिता पति श्रीनिवाज का स्वतंत्र
 28.10.2010 को आगे वादा वादरी
 से 15 वर्ष पूर्व ही लुका है।
 जिजकी वादी को पूरी जानकारी
 है। जानकारी होने के बाद भी
 अंतक व्यक्ति के विरुद्ध वाद पैदा
 किया गया है। वाद वादी वारिस
 योग्य है।

इसने 07.11.2011 प्राप्ति पर
 अंतक अंतक विद्वान अंतक अंतक
 अ.02 ने प्राप्ति पर अंतक
 अंतक को वाद अंतक अंतक
 अंतक अंतक श्रीनिवाज का अंतक



उपस्थित अधिकारी
 अमना (महाराष्ट्र)

तारीख
हुक्म

आरमार द्वारा जारी हुक्म प्रमाण
पत्र का अवलोकन कराया।
प्रति 02 श्री निवाज की हुक्म
वि. 028/10/2010 को दो कुमी ह
प्रति 02 की ओर से जारी कराया
गया रजिस्टरि वसीयतनामा का अंश
कराया।

इसने पञ्चवली व पञ्चवली में
संलग्न दस्तावेजों का गहनता से
अवलोकन किया। प्रकरण में 07/11
के नियम लागू होते हैं का
धुक्म प्रति 02 के विरुद्ध पेश
कर कार्यवाही चाही गई है जो
विधि विरुद्ध है का वादी विरुद्ध
विधि होने से स्वार्थित योग्य
है।

आदेश

अतः प्राथमिक पत्र आदेश 7
नियम 11 स्वीकार किया जाता है।
का वादी उत्तर पर स्वार्थित किया
जाता है पञ्चवली के जल शुभार
के नम्बर से कम है। बाद में
वाकिल पक्ष में निर्णय आता
वि. 028/10/2010 को गैर दारा लिखाया जाय
इसने न्यायलय सुनाया गया।



अपकृत अधिकारी
बयाना (पुस्तक)